28.06.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नं. 1. श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री घीसाराम शर्मा, (विक्रेता) निवासी—ग्राम कल्याणपुरा, पो. जयरामपुरा, तह. श्रीमाधोपुर मैसर्स— श्री एम डी फुड प्रोडेक्ट, एच—1—4(i), रिको इन्डस्ट्रीज एरीया, परसरामपुरा, रींगस, सीकर व अप्रार्थी नं. 2. पुरण प्रकाश शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा (मालिक), निवासी— वार्ड नं. 13, वेदान्ता कॉलेज के सामने, रींगस, सीकर मैसर्स— श्री एम डी फुड प्रोडेक्ट, एच—1—4(i), रिको इन्डस्ट्रीज एरीया, परसरामपुरा, रींगस, सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.01.2023 को समय 01:40 पी.एम. पर रींगस में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्री एम डी फुड प्रोडेक्ट, एच—1—4(i), रिको इन्डस्ट्रीज एरीया, परसरामपुरा, रींगस, सीकर, में अप्रार्थी श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री घीसाराम शर्मा (विक्रेता) द्वारा गाय का दुध विक्रय एवं मिठाईयां व मावा, पनीर बनाने हेतु रखा पाया गया। वहां पर विक्रेता को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। श्री रमेश शर्मा से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2023 होना बताया।

फर्म श्री एम डी प्रोडेक्ट द्वारा गाय का दुध का विक्रय एवं मिठाईयां बनाने के लिए रखा हुआ था। मैसर्स पर उपलब्ध एक टैंक में लगभग 200 लीटर गाय का दुध विक्रय मिठाईयां बनाने के लिए रखा हुआ पाये गये में मिलावट की शंका पर वास्ते जांच नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमुना जांच हेतु 2 लीटर गाय का दुध खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता रमेश शर्मा को 80रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ—3230 खाद्य पदार्थ गाय का दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ गाय का दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री रमेश शर्मा को 2,000 रू के जुर्माने से व अप्रार्थी श्री पुरण प्रकाश शर्मा को 50,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210—04—800—03—00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:04 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)